फर्द अहकाम

छोगाराम बनाम राजेन्द्र वगै0

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 15/2019 71 प्रार्थनापत्र

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29.03.2019	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री शिवनारायण देवन्दा एडवाकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी पेश किया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी को सुनने पर मामला प्रथम दृष्टया अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का होना जाहिर किया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 288 के खसरा नम्बर 1485/1 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चादमां कलां तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.04.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	
	30/4/19	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-7-19 को पेश है।	
	9/7/19	पक्षकारान के वकील उपस्थित। आज अभिभाषक संघ फागी ने [illegible] पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/9/19 पेश हो।	
	18/7/19	आज यह पत्रावली वकील वादीगण द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। वादीगण/प्रार्थीगण स्वयं उप० हुये जिनकी पहचान वकील प्रार्थीगण श्री शिवनारायण देवन्दा द्वारा की गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन किया है मूल वाद को विड्रो कर लिया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को भी विड्रो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल	रामलाल नि० सुजा नि० छोगा